

—: आदेश :—

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)/वित्त/नियम/2008/पार्ट I दिनांक 12.09.2008 एवं 06.10.08 तथा एफ.14(88)एफडी (रूल्स)/2008-11 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: प.5 (1) चि.स्वा./2/10 पार्ट दिनांक 20.12.10 द्वारा निम्नलिखित कनिष्ठ विशेषज्ञों की 20 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से वेतन श्रृंखला 15600-39100 मे ग्रेड पे-6800/- स्वीकृत करने की अनुमति अनुसार एस्योर्ड केरियर प्रोगेशन स्वीकृत की जाती है :-

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	नियमित नियुक्ति दिनांक	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	20 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ. नवीता सैनी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर	31-12-50	01-05-81	01-05-01	01-09-06
2	डॉ. जगदीश प्रसाद गुप्ता	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक	15-07-56	26-06-87	26-06-07	26-06-07
3	डॉ. राधेश्याम मानावत	कनिष्ठ विशेषज्ञ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर	03-07-59	09-08-90	09-08-10	09-08-10
4	डॉ. मुकेश भटनागर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	जिला क्षय रोग अधिकारी, एस.एम. एस., जयपुर	13-04-55	19-04-81	19-04-01	01-09-06
5	डॉ. सतीश कुमार चुद्य	कनिष्ठ विशेषज्ञ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ, चुरु	01-07-53	11-04-87	11-04-07	11-04-07
6	डॉ. हर्षदा द्विवेदी	कनिष्ठ विशेषज्ञ	उप निदेशक एवं प्राचार्य, राज. पुलिस अकादमी, जयपुर	16-03-61	24-08-90	24-08-10	24-08-10

- कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.01 के क्रम में दिनांक 01.06.02 को एवं इसके पश्चात् अधिकारी की तीसरी सन्तान नहीं होने की अधिकारी द्वारा घोषणा।
- एसीपी की देय तिथि से ठीक 20 वर्ष पूर्व नियमित रूप से अधिकारी को वेतन वृद्धिया मिलने एवं उक्त अवधि की सेवायें सन्तोषप्रद होने बाबत अधिकारी द्वारा घोषणा।
- संबंधित चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं होने की तथा पूर्व में कोई दण्ड नहीं मिलने की अधिकारी की घोषणा।
- उक्त कॉलम संख्या 06 में अंकित नियुक्ति तिथि नियमित रूप से होने की अधिकारी की घोषणा भी प्राप्त की जाना।
- जिन चिकित्सकों द्वारा पदौन्नती फोरगो की गई है उन्हें नियमानुसार 02 वर्ष पश्चात् की एसीपी का लाभ इस शर्त पर दिया जायेगा कि उनकी पुनः पदौन्नती होने पर उनके द्वारा फोरगो नहीं किया गया हो।

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

6 संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड/सेवा रिकार्ड से घोषणा पत्र के तथ्यों तथा सेवा रिकार्ड के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि की पुष्टी की जावेगी तथा उक्त घोषणा पत्र व इसकी पुष्टी का इन्द्राज संबंधित चिकित्सा अधिकारी की सेवा पुस्तिका में किया जाकर तदनुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिकारी की एसीपी स्वीकृति तिथि को 20 वर्ष निरन्तर व सन्तोषप्रद राजकीय सेवा की पुष्टी की जावेगी।

उपरोक्त चिकित्सकों के इस सम्पूर्ण अवधि के एसीआर (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषप्रद सेवा का प्रमाण के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं कि भविष्य में उक्त अवधि में एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त विधि से प्रकरण नियमानुसार होने पर ही इस स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कनिष्ठ विशेषज्ञों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.09.08 व 06.10.08 के नियम-20 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित चिकित्सकों की सेवा पुस्तिका में की जावेगी। वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित चिकित्सकों एसीपी स्वीकृति तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम-2008 के वेतन श्रृंखला 15600-39100 में ग्रेड-पे 6600 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

— 51 —  
निदेशक (जन स्वा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/10/1840

दिनांक :- 31.12.10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 उप निदेशक एवं प्राचार्य, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
- 3 सम्बंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
- 4 सम्बंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 5 सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 6 जिला क्षय रोग अधिकारी, एस. एम. एस., जयपुर।
- 7 समस्त डिलिंग सहायक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
- 8 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि विभाग की वैबसाइट पर तुरन्त डाउनलोड करवाने की व्यवस्था करें।
- 9 आदेश/रक्षित पत्रावली।

— 51 —  
निदेशक (जन स्वा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।